

मध्यप्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 1108/2647/2020/38/1

भोपाल, दिनांक 03/09/2020

प्रति,

डॉ. पायल लिल्हारे,  
वाई नं.04, देवटोला,  
बालाघाट, जिला बालाघाट(म.प्र.)

विषय:-कार्यभार ग्रहण करने की अवधि में वृद्धि बाबत।

संदर्भ:-विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1-70/2019/38/1, दिनांक 09.07.2020 एवं आपका  
अभ्यावेदन दिनांक 17.08.2020

\* \* \*

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश दिनांक 09.07.2020 द्वारा आपको सहायक प्राध्यापक, हिन्दी के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए शासकीय महाविद्यालय, निवाडी, जिला निवाडी में पदस्थ किया गया था, किंतु आपके द्वारा निर्धारित समय-सीमा में कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण समयवृद्धि बाबत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।

2/ आपसे प्राप्त अभ्यावेदन के अनुक्रम में पूर्ण विचारोपरांत कार्यभार ग्रहण करने हेतु 15 सितंबर 2020 तक की वृद्धि की जाती है। उक्त अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में आपकी नियुक्ति स्वतः निरस्त कर दी जावेगी।

03/09/2020  
( श्वेता पवार )

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठा.क्रमांक 1109/2647/2020/38/1

भोपाल, दिनांक 03/09/2020

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा, म.प्र.
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र.,
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, सागर संभाग, सागर,

//2//

4. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, निवाडी, जिला निवाडी,

१२/०३/१९  
उप/सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग